

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(1)स्था/मंत्रा/अभि/17/ 3755-815

दिनांक :- 14/3/18


**आदेश :-**

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के वेतन बैण्ड: (2) 9300-34800 तथा ग्रेड पे न. (11) 3600/ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -10 में (सन्दर्भानुसार) पदोन्नत किया जाता है।

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री ललिता प्रसाद	सामान्य	दिनांक 1.4.2017	सं०नि० दि० 31.01.18
2.	श्री शिव लहरी विजय पुत्र श्री सुरजमल	सामान्य	दिनांक 1.4.2017	सं०नि० दि० 31.01.18
3.	श्री महेश चन्द पुत्र श्री दामाराम	एस०सी०-1	दिनांक 1.4.2017	
4.	श्री रामकरण बैरवा पुत्र श्री नारायण लाल	एस०सी०-2	दिनांक 1.4.2017	
5.	श्री रामनिवास पुत्र श्री गुलाबचन्द	एस०सी०-3	दिनांक 1.4.2017	
6.	श्री मनोहर लाल बैरवा पुत्र श्री साधुराम	एस०सी०-4	दिनांक 1.4.2017	सं०नि० दि० 31.08.17
7.	श्री गोपी सहाय मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप	एस०टी०-1	दिनांक 1.4.2017	
8.	श्री बजरंग लाल पुत्र श्री किशन लाल	सामान्य	दिनांक 1.4.2017	सं०नि० दि० 30.08.17
9.	श्री सुगर सिंह पुत्र श्री मवासीराम	एस०सी०-5	दिनांक 1.4.2017	
10.	श्री रामस्वरूप वर्मा पुत्र श्री मांगेलाल	एस०सी०-6	दिनांक 1.4.2017	
11.	श्री रमेश चन्द जोईया पुत्र श्री जगन्नाथ	एस०सी०-7	दिनांक 1.4.2017	
12.	श्री प्रहलाद लाल मीणा पुत्र श्री ओंकार लाल मीणा	एस०टी०-2	दिनांक 1.4.2017	
13.	श्री शिवरतन देवडा पुत्र श्री रामगोपाल	सामान्य	दिनांक 1.4.2017	
14.	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल	सामान्य	दिनांक 1.4.2017	
15.	श्री पदम सिंह पुत्र श्री चेताराम जाटव	एस०सी०-8 (सामान्य पद के विरुद्ध)	दिनांक 1.4.2017	
16.	श्री हनुमान सहाय बैरवा पुत्र श्री मोहन लाल	एस०सी०-9 (सामान्य पद के विरुद्ध)	दिनांक 1.4.2017	
17.	श्री जैष्ठानन्द वैद्य पुत्र श्री मानमल	सामान्य	दिनांक 1.4.2017	

18.	श्री सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण चन्द	सामान्य	दिनांक 1.4.2017	
19.	श्री जय प्रकाश मीणा पुत्र किशोरी लाल	एस0टी0-3	दिनांक 1.4.2017	

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

  
 (देवेन्द्र दीक्षित)  
 निदेशक अभियोजन  
 राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
7. सम्बंधित कार्मिक ।
8. निजी पत्रावली/ समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

216 / 14/3/18  
 निदेशक अभियोजन  
 राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(1)स्था/मंत्रा/अभि/17/ 3216-76

दिनांक :- 14/3/18

आदेश

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के वेतन बैण्ड: (2) 9300-34800 तथा ग्रेड पे न. (11) 3600/राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -10 में (सन्दर्भानुसार) पदोन्नत किया जाता है।

क्र0स0	कार्मिक का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध घयन किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री खेताराम पुत्र श्री भुराराम	एस0टी	दिनांक 1.4.17	
2.	श्री दिनेश चन्द जोशी पुत्र श्री नाथूलाल	सामान्य	दिनांक 1.4.17	
3.	श्री मनोज कुमार खराडी पुत्र श्री सोमालाल	एस0टी0	दिनांक 1.4.17	

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय ।
7. सम्बन्धित कार्मिक ।
8. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

216/14/3/18  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर